Regd. No. CHD/0093/2015–2017

Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 184-2016/Ext.] CHANDIGARH, TUESDAY, NOVEMBER 15, 2016 (KARTIKA 24, 1938 SAKA)

हरियाणा सरकार

विद्युत विभाग

अधिसूचना

दिनांक 15 नवम्बर, 2016

संख्या 26/4/1999–2 विद्युत.— भारतीय विद्युत नियम, 1956 के नियम 45 के साथ पठित नियम 133 के उप–नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, पूर्व पंजाब सरकार, सिंचाई तथा विद्युत विभाग, आदेश संख्या का0आ0133–4ई एल–62/22877, दिनांक 17 सितम्बर, 1962 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्:–

संशोधन

पूर्व पंजाब सरकार, सिंचाई तथा विद्युत विभाग, आदेश संख्या का0आ0133–4ई एल–62/22877, दिनांक 17 सितम्बर, 1962, में, खण्ड 30 के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–

"30 नीचे विहित मापक्रम की फीस पर्यवेक्षकों तथा उन उम्मीदवारों से जो विद्युत संविदाकारों से उक्त परीक्षा तथा अनुज्ञप्तियों में उपस्थित होने से छूट प्राप्त है, की सक्षमता के प्रमाण पत्र जारी करने के लिए प्रभारित की जाएगी:–

1. विद्युत पर्यवेक्षक

(i)	पर्यवेक्षक परीक्षा	560/–रुपये
(ii)	परीक्षा के परिणाम पर सक्षमता प्रमाण–पत्र जारी करने	175/–रुपये
(iii)	उम्मीदवार के अनुरोध पर लिखित पेपरों में कुल अंको की पुनः जॉच करने के लिए	175/–रुपये
(iv)	उन उम्मीदवारों के लिए प्रमाण–पत्र जो पर्यवेक्षक परीक्षा से छूट प्राप्त है।	350/–रुपये
(v)	छूट प्रमाण–पत्र की दूसरी प्रति	175/–रुपये
(vi)	पर्यवेक्षक सक्षमता प्रमाण–पत्र की वार्षिक नवीनीकरण फीस	175/–रुपये
(vii)	तीन वर्ष के लिए पर्यवेक्षक सक्षमता प्रमाण–पत्र की नवीनीकरण फीस	435/–रुपये
(viii)	पर्यवेक्षक प्रमाण–पत्र की दूसरी प्रति	175/–रुपये
(ix)	अन्य राज्यों द्वारा जारी किए गए पर्यवेक्षक प्रमाण–पत्र की अन्तर्राज्य मान्यता	435/–रुपये
(x)	माफी अवधि के बाद नवीनीकरण के लिए लेट फीस	75/–रुपये

2. संविदाकार अनुज्ञप्ति

(i)	'क' तथा 'ख' श्रेणी के लिए आरम्भिक फीस	2770 / –रुपये
(ii)	'क' तथा 'ख' श्रेणी के लिए वार्षिक नवीनीकरण फीस	865 / –रुपये
(iii)	उच्च वोल्टता कार्य के लिए विशेष अनुज्ञप्ति का जारी करना	1730 / –रुपये
(iv)	माफी अवधि के बाद संविदावार अनुज्ञप्ति के नवीनीकरण के लिए लेट फीस।	250 / –रुपये
(v)	संविदाकार अनुज्ञप्ति की दूसरी प्रति के लिए फीस	140 / –रुपये

3. तारमिस्त्री

तारमिस्त्रियों की परीक्षा के लिए तथा उन उम्मीदवारों जो प्रत्येक परीक्षा में उपस्थित होने से छूट प्राप्त हैं, को परमिट जारी करने के लिए उम्मीदवारों द्वारा भुगतान योग्य फीस का मापक्रम निम्न अनुसार होगा।

(i)	'क' तथा 'ख' श्रेणी तार मिस्त्री के लिए परीक्षा फीस	350 / –रुपये
(ii)	सफल उम्मीदवारों को तार मिस्त्री का परमिट जारी करना	90 / –रुपये
(iii)	उम्मीदवार जो 'क' तथा 'ख' श्रेणी तार मिस्त्री के लिए परीक्षा से छूट प्राप्त हैं को परमिट जारी करने के लिए	175 / –रुपये
(iv)	'क' तथा 'ख' श्रेणी परमिट के लिए वार्षिक नवीनीकरण फीस	90 / –रुपये
(v)	तीन वर्ष के लिए 'क' तथा 'ख' श्रेणी परमिट के लिए नवीनीकरण फीस	210 / –रुपये
(vi)	माफी अवधि के बाद लेट फीस	40 / –रुपये
(vii)	दूसरा परमिट जारी करने के लिए	90 / –रुपये

टिप्पण 1. पुनरीक्षित दरें उक्त अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से लागू मानी जाएंगी।

2. ये पुनरीक्षित दरें इन दरों के लागू होने की तिथि से प्रत्येक तीन वर्ष के बाद 20 प्रतिषत तक आगे बढ़ाई जाएंगी।"।

अनुराग रस्तोगी,
प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
विद्युत विभाग।

HARYANA GOVERNMENT

POWER DEPARTMENT

Notification

The 15th November, 2016

No. 26/4/1999-2 Power.— In exercise of the powers conferred by Sub-rule (1) of Rule 133 read with Rule 45 of the Indian Electricity Rules, 1956, the Governor of Haryana hereby makes the following amendment in the erstwhile Punjab Government, Irrigation and Power Department, Order No. S.O. 133-4EL-62/22977, dated the 17th September, 1962, namely:-

Amendment

In the erstwhile Punjab Government, Irrigation and Power Department, Order No. S.O. 133-4EL-62/22977, dated the 17th September, 1962, for clause 30, the following clause shall be substituted, namely:-

"30 Fees on the scale prescribed below shall be charged for the issuing of certificate of competency to Supervisors as well as to those candidates who are exempted from appearing in the said examination and the licenses to the Electrical Contractors:

1. Electrical Supervisor

(i)	Supervisor Examination.	₹ 560/-
(ii)	Issuing Competency Certificates on the results of the examination.	₹ 175/-
(iii)	For re-checking of totals of marks in written papers on the request of the candidate.	₹ 175/-
(iv)	Certificate to the candidates who are exempted from the Supervisor Examination.	₹ 350/-

(v)	Duplicate copy of the exemption certificates.	₹ 175/-
(vi)	Annual renewal fee of Supervisors competency certificate.	₹ 175/-
(vii)	Renewal fee of Supervisor competency certificate for three years.	₹ 435/-
(viii)	Duplicate copy of the Supervisor certificate.	₹ 175/-
(ix)	Interstate recognition of supervisor certificate issued by other states	₹ 435/-
(x)	Late fee for renewal after grace period	₹ 75/-

2. Contractors License

(i)	Initial fee for 'A' and 'B' class.	₹ 2770/-
(ii)	Annual renewal fee for 'A' and 'B' class.	₹ 865/-
(iii)	Issue of special license for High Tension work.	₹1730/-
(iv)	Late fee for renewal of contractor license after the grace period.	₹ 250/-
(v)	Fee for duplicate copy of contractor license.	₹ 140/-

3. Wireman

The scale of fees payable by the candidates for Wireman's examination and for the issuing of permits to those candidates who are exempted from appearing in the each examination shall be as under:-

(i)	Examination fee for 'A' and 'B' Class wireman.	₹350/-
(ii)	Issue of wireman permit to successful candidates.	₹ 90/-
(iii)	For issue of permit to a candidate who is exempted from 'A' and 'B' class wireman examination.	₹175/-
(iv)	Annual renewal fee to 'A' or 'B' class permit.	₹ 90/-
(v)	Renewal fee to 'A' or 'B' class permit for 3 years.	₹210/-
(vi)	Late fee after grace period.	₹ 40/-
(vii)	For issuing duplicate permit.	₹ 90/-

Note: 1. The revised rates shall be applicable with effect from the date of publication of the notification.

2. These revised rates would further be increased by 20% after every three years from the date of applicability of these rates.".

ANURAG RASTOGI,
Principal Secretary to Government Haryana,
Power Department.

54775—C.S.—H.G.P., Chd.